

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
Notification

New Delhi, the 30<sup>th</sup> January, 2019

S.O. \_\_\_\_\_ (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 30<sup>th</sup> January 2019 as the date on which the provisions of section 465 of the said Act in so far as they relate to the repeal of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) [that in except in so far as they relate to the repeal of the Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961 (Sikkim Act 8 of 1961)] shall come into force.

[File No. 1/1/2019-CL.I]

  
30/1/19

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड-(ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.आ. \_\_\_\_\_(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहां तक कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के निरसन से संबंधित हैं, 30 जनवरी 2019 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 465 (जहां तक कि उनका संबंध कंपनी रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 (सिक्किम, 1961 का 8) को निरस्त करने का संबंध है, उसके सिवाय) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2019-सीएल-1]

के.वी.आर.मूर्ति  
30/1/19

(के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार